



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12567/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
विमलेश कुमार सेवार्थी कृषि फार्म, गांव सांखू वाया बलारा तहसील लक्ष्मणगढ, सीकर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-04-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस.डी. शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 25-4-17 के द्वारा दिनांक 18-2-99 को जारी सहायक रेडियोग्राफर की नियुक्ति सूचना में एस.सी. वर्ग के चयनित पुरुष अभ्यर्थियों की कट-ऑफ मार्कस् का विवरण एवं चयनित अभ्यर्थियों की सूची आदि 9 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें आधी-अधूरी सूचना ही उपलब्ध करवाई गई है। उन्हें पूर्ण सूचना दिलवाई जावे। प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 5-1-18 प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया। निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 11-10-17 से 25 पृष्ठीय सूचना संलग्न कर प्रेषित कर दी गई थी।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 5-1-18 मय संलग्नक प्रेषित किया है प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित है, से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. अपीलार्थी प्राप्त सूचना से संतुष्ट नहीं है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा चिन्हित एवं नियमानुसार देय सूचना के अधिकतम 25 पृष्ठ तक निःशुल्क एवं इससे अधिक पृष्ठों के लिए शुल्क प्राप्त कर सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करा दें।
8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त